

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ० वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 33/2019/(2019/00033) जिला-अजमेर

1. बसीरन पत्नी मरहूम समसु खां उर्फ समसुदीन
  2. अशरफ पुत्र मरहूम समसुखा उर्फ समसुदीन
  3. खातून पुत्री मरहूम समसुखां उर्फ समसुदीन
  4. बातून पुत्री मरहूम समसुखां उर्फ समसुदीन
  5. माफिया पुत्री मरहूम समसु खां उर्फ समसुदीन
  6. अफजल पुत्र मरहूम समसुखां उर्फ समसुदीन
  7. अहमद खान पुत्र मरहूम समसुखां उर्फ समसुदीन
  8. गुल मोहम्मद पुत्र मरहूम समसुखां उर्फ समसुदीन
- समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम ऊंटड़ा तहसील व जिला अजमेर।

..... अपीलार्थीगण

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर

.....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध  
आदेश उपखण्ड अधिकारी अजमेर (सहायक कलक्टर मु० अजमेर)  
केम्प कोर्ट ग्राम ऊंटड़ा दिनांक 08-06-2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 13/2017  
बउनवान बसीरन व अन्य बनाम राज० सरकार

- उपस्थित : 1. श्री शहाबुद्दीन खान अभिभाषक अपीलार्थीगण  
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक : 24.12.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (सहायक कलक्टर मु०) अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन



किया कि अपीलार्थी की खातेदारी आराजी जमाबंदी में भूलवश भूरे खां वल्द शकूर खां दर्शा दिया गया जबकि सही नाम नूर खां वल्द शकरू खां दुरुस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पोषनीय नहीं होने के कारण अपने आदेश दिनांक 8-6-2017 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही प्रकरण को राजस्व केम्प कोर्ट ग्राम ऊंटड़ा में नियत कर प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण निर्णित कर दिया। उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हलका द्वारा दिनांक 9-6-2017 को बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने अपने वकील से सम्पर्क कर नकल हेतु दिनांक 10-6-2017 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 23-6-2017 को नकल प्राप्त हुई तथा फीस आदि का इन्तजाम कर अपील तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी अभिभाषक के मियाद बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। मियाद के बिन्दु पर छूट चाहने हेतु प्रत्येक दिवस बाबत समुचित कारण दर्शाने होते हैं जो कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नहीं दर्शाये गये हैं। इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा-5 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोंडेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट (गुणावगुण) पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 967 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 972 रकबा

1.0100 हैक्टर ग्राम ऊंटड़ा तहसील व जिला अजमेर अपीलार्थीगण के पिता ही काश्त करते आ रहे हैं। तत्पश्चात उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी आराजी जमाबंदी में भूलवश भूरे खां वल्द शकूर खां दर्शा दिया बल्कि सही नाम नूर खां वल्द शकरू खां दुरुस्त किया जावे। जिस बाबत अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया तथा पटवारी हलका द्वारा जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, सेटलमेंट पर्चा रसीद व अन्य संबंधित दस्तावेजात प्रस्तुत कर दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में आगामी नियमित पेशी दिनांक 16-6-2017 नियत थी लेकिन अपीलार्थी को सूचित किये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही कर राजस्व केम्प ऊंटड़ा में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध निस्तारण किया। राजस्व केम्प में केवल दोनों पक्षों द्वारा आपसी राजीनामा के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 8-6-2017 पारित कर दिया जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ने कोई खातेदारी नहीं मांगी है केवल दुरुस्ती चाही है जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती थी। अपीलार्थी ने सबूत व साक्ष्य से सिद्ध किया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (सहायक कलक्टर मु0, अजमेर) केम्प कोर्ट ग्राम ऊंटड़ा का आदेश दिनांक 8-6-2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में एक नजीर आर.आर.टी. 2016-17 (सु. पी.) पृष्ठ 566 सुरेन्द्र सिंह बनाम विरेन्द्र सिंह व अन्य रिविजन टी.ए. नम्बर 6870/भरतपुर 2016 निर्णय दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 राजस्व मण्डल अजमेर प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पॉन्डेन्ट तहसीलदार अजमेर की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थीगण ने ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा ऐसे कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनके आधार पर उक्त दुरुस्ती किया जाना संभव हो। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षेत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरुस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि के अन्तर्गत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की खातेदारी आराजी की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 में भूलवश भूरे खां वल्द शकूर खां दर्शा दिया गया जबकि सही नाम नूर खां वल्द शकरू खां है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार, अरड़का के जवाब दिनांक 8-6-2017 में उल्लेखित है कि प्रार्थी की कृषि भूमि पुश्तैनी है जो स्वयं साक्ष्य से सिद्ध करे। अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत ठोस साक्ष्य/राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण उक्त प्रकरण धारा 88 एवं 188 उद्घोषणात्मक वाद की परिभाषा में आता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 की परिधि में नहीं आने के कारण खारिज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा उक्त इन्द्राज दुरुस्ती धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षेत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरुस्त करवाई जा सकती है जबकि अपीलार्थी ने धारा 136 के तहत नाम दुरुस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है गांव में एक नाम का दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण धारा 136 के अन्तर्गत नहीं आने के कारण खारिज किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (सहायक कलक्टर मु0) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8-6-2017 विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण उक्त स्थिति में इन्द्राज दुरुस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद दायर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। तत्परक समानता नहीं होने से प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेरस (सहायक कलक्टर मु0 अजमेर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8-6-2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 13/2017 बउनवान बसीरन व अन्य बनाम तहसीलदार, अजमेर विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ० वीना प्रधान)  
संभागीय आयुक्त,  
अजमेर